

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The November 26, 1996

No. G.S.R.104/C.A.59/1988/Ss. 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213/96.—In exercise of the powers conferred by sections 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), and all other powers enabling him in this behalf, and with reference to Haryana Government, Transport Department, notification No. G.S.R.98/C.A.59/1988/Ss. 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 and 213/96, dated the 25th October, 1996, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993.

1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 1996.

2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, after rule 59, the following rule shall be inserted, namely :—

“59-A. Delegation of powers section 68(5).—Regional Transport Authority may delegate its powers or functions under sub-section (5) of section 68 of the Act to Sub-Divisional Officer (Civil) in case of maxicab and motorcab for the purpose of grant of contract carriage permit under its jurisdiction.”.

BHASKAR CHATTERJEE,

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Transport Department.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 नवम्बर, 1996

सं० सा० का० नि० 104/के० अ० 59/1988/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213/96.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं० 59) की धारा 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग अधिसूचना सं० सा० का० नि० 98/के० अ० 59/1988/धा० 28, 38, 65, 93, 95, 96, 107, 111 तथा 213/96, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996, के प्रतिनिदश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. ये नियम हरियाणा मोटरयान (संशोधन) नियम, 1996, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा मोटरयान नियम, 1993, में, नियम 59 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“59-क. शक्तियों का प्रत्यायोजन—धारा 68(5).—क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की धारा 68 की उपधारा (5) के अधीन मैक्सिकैब तथा मोटरकैब की दशा में संविदा वाहन परमिट को देने के प्रयोजन के लिए अपनी शक्तियों या कृत्यों को उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) को उसकी अधिकारिता के अधीन प्रत्यायोजित कर सकता है।”।

भास्कर चटर्जी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।